न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :–153/2024 **निर्णय दिनांक :– 13.05.2024**

1. महावीर पुत्र गोरधन जाति रैगर आयु बालिग निवासी चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोक राज.
2. लाडा देवी पत्नी गोरधन जाति रेगर आयु बालिग निवाती चांदसिंहपुर तहसील दूनी जिला टोक राज.

–प्रार्थीगण–

–बनाम–

1. कमला देवी पत्नी भागुतालाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक
2. तहसीलदार जी दूनी राज.

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

श्री अशोकु कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1
तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टि0 एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण को खातेदारी की आराजी ख. नं. 1016 रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक स्थित है ओर मोके पर प्रार्थीगण काबिज है । प्रार्थीगण की खातेदारी के उक्त खेत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता नही है, प्रार्थीगण वर्तमान मे ख. नं. 995 जो कि सिवायचक है, के उत्तरी दिशा की तरफ डोल पर होते हुऐ ख. नं. 1015/1460 रकबा 0.20 है0 में से उत्तरी दिशा की तरफ से होते हुऐ वर्षो से अपने खेतो मे आ जा रहे है ओर इसी रास्ते से अपने कृषि सम्बन्धित औजार, हल, बेल, कुली आदि लाते–ले जाते रहे है । उक्त रास्ता आगे जाकर ख. नं. 997 रकबा 0.31 है0 गै.मु. रास्ते में मिल जाता है। ख. नं. 995 सिवायचक है तथा ख. नं. 1015/1460 की प्रतिपक्षीया नं. 1 खातेदार है प्रतिपक्षीया नं. 1 ने प्रार्थीगण के आने–जाने वाले रास्ते को जबरन बन्द कर दिया है जबकि प्रार्थीगण वर्षो से उक्त रास्ते से आते–जाते रहे है । अब प्रार्थीगण के खातेदारी

के खेतो मे जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है जिसके कारण उनको काफी परेशानी हो रही है। रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण के खेत पड़त रह जायेंगे ओर प्रार्थीगण को काफी नुकसान होगा। इसलिऐ प्रार्थीगण को हाल ख. नं. 995 जो सिवायचक है के उत्तरी मेर के साथ–साथा व ख. नं. 1015/1460 मे होते हुऐ 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते संलग्न नक्शे में ए–बी–सी–डी–ई–एफ से दर्शाया गया है जो उक्त प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है । प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी–रेट से दुगनी राशि जमा कराने के तैयार एवं तत्पर है । विवादग्रस्त आराजियात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रा. पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । उक्त प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251–ए– राज. टि. एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर श्रीमान की सेवामे पेश है । यह माननीय न्यायालय मे धारा 251–ए– के तहत प्रथम आवेदन है । अतः प्रार्थनापत्र अ0 धारा 251–ए– राज. टि. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथी संलग्न नक्शा ट्रेस मे दर्शाये गये ए–बी–सी–डी–ई–एफ स्थान पर प्रार्थीगणर को हाल ख. नं. 995 व 1015/1460 वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी में से 20 फिट का रास्ता प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के खेत मे आने जाने के लिऐ दिलवाया जावे और उक्त रास्ते को राजस्व रिकोर्ड मे अंकित किया जावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थीया को आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीया को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है।. प्रार्थीया द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। हां, प्रार्थीया द्वारा आवेदित रास्ता रिकॉर्डेड रास्ते से जुड़ा हुआ है। आवेदित भूमि पर पहुंच मार्ग के लिए निम्नानुसार रास्ता प्रस्तावित है:–

क्र. सं.	ख. नं.	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षैत्रफल वर्ग मीटर में
1.	995	120	6.09	730.8
2.	1015/1460	12	6.09	73.08
कुल क्षैत्रफल		132 मीटर		1188 वर्ग मीटर

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम चान्दसिंहपुरा की डीएलसी दर 293030/– रूपये प्रति है0 है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 69623/– भुगतान योग्य है। आराजी ख. नं0 1016 रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम चान्दसिंहपुरा आवेदक के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया आराजी ख. नं. 995, 1015/1460 ग्राम चान्दसिंहपुरा में से रास्ता चाहती है। जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दियां गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड़ दीवार कोई संरचना इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार दूनी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थीगध्स के पासं उसकी आराजी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को अपने आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से व अप्रार्थी संख्या 1 से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थीगण अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थीगण इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। चाहे 20 फीट के स्थान पर 12 फीट या 4 मीटर का रास्ता दे दिया जावे तो कोई आपति नहीं है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि रिपोर्ट में सहवन से प्रार्थीगण के स्थान पर प्रार्थीया व कुल क्षैत्रफल 803.88 वर्ग मी. के स्थान पर 1188 वर्ग मी. हो गया जिसको प्रार्थीगण व कुल क्षैत्रफल 803.88 वर्ग मी. समझा जावे और शेष रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

न्यायालय में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार नही बताया है। प्रार्थी की भूमि खाता नम्बर 297 खसरा नम्बर 1016 रकबा 1.35 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.35 है0 वाके तनग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी में प्रार्थीगण की भूमि से पूर्व सिवायचक भूमि ख. नं. 995 रकबा 0.29 है0 व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख. नं. 1015/1460 रकबा 0.20 है0 वाके तनग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी है, जिसमें से प्रार्थी रास्ता चाहता है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता ख. नं. 995 में से चौड़ाई 4 मीटर एवं लम्बाई 120 मीटर अर्थात कुल क्षैत्रफल 480 वर्ग मी. एवं ख. नं. 1015/1460 में से चौड़ाई 4 मीटर एवं लम्बाई 12 मीटर अर्थात कुल क्षैत्रफल 48 वर्ग मी. कुल क्षैत्रफल 528 वर्ग मी. अर्थात 0.00528 है0 के रास्ते की तरमीम प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 30943/– अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 13.05.2024 को सुनाया गया।

13/5/2024

उपखण्ड अधिकारी
देवली